भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2140
उत्तर देने की तारीख : 04.07.2019

अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति

2140. श्री के॰ नवासखनीः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अल्पसंख्यकों को कोई छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महंगाई को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्तियों के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि को बढ़ाने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) और (ख): जी हां। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायों यथा मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन और पारसी के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं क्रियान्वित कर रहा हैः

(i) **मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना**–यह छात्रवृत्ति सरकारी/मान्यता–प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में कक्षा I से X में पढ़ रहे अल्पसंख्यक छात्रों को प्रदान की जाती है।

(ii) **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना**–यह छात्रवृत्ति सरकारी/मान्यता–प्राप्त प्राइवेट स्कूलों/कॉलेजों/ संस्थानों में कक्षा XI से पीएचडी स्तर तक पढ़ रहे अल्पसंख्यक छात्रों को प्रदान की जाती है।

(iii) **मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाः** यह छात्रवृत्ति उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा मान्यता–प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त सभी योजनाओं के अधीन, छात्रवृत्तियों का 30% छात्राओं के लिए निर्धारित है।

इन योजनाओं के विस्तृत योजनागत दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों नामतः मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन और पारसी से संबंधित छात्रों के लिए 3.18 करोड़ छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। इनमें से बालिकाएं लाभार्थियों के 50% से अधिक बैठती हैं। अगले पांच वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का छह केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 5 करोड़ छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर

और मेरिट–सह–साधन छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव है। इसमें 50% से अधिक छात्राएं शामिल होंगी। ये तीनों छात्रवृत्ति योजनाएं अब राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं और 2015 से छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए और दोहरेपन को दूर करते हुए तथा हेरा–फेरी रोकते हुए पारदर्शिता लाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है।

	अल्पसंख्यकों की कुल जनसंख्या	मैट्रिक–पूर्व	मैट्रिकोत्तर	मेरिट–सह–साधन	कुल लाभार्थी	अल्पसंख्यक जनसंख्या में से आनुपातिक लाभार्थी
		लाभार्थी (संख्या)	लाभार्थी (संख्या)	लाभार्थी (संख्या)		
मुस्लिम	172245158	20974526	2645897	451864	**24072287**	13.98
ईसाई	27819588	3193073	396388	95175	**3684636**	13.24
सिक्ख	20833116	2130441	344440	42286	**2517167**	12.08
बौद्ध	8442972	759126	20464	2549	**782139**	9.26
जैन	4451753	282410	76243	20791	**379444**	8.52
पारसी	57264	3283	457	53	**3793**	6.62
कुल	**233849851**	27342859	3483889	612718	**31439466**	

*उपर्युक्त के अलावा एमएईएफ द्वारा पांच वर्षों में मेधावी छात्राओं के लिए बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति : 4,41,002

(ग) और (घ): सरकार योजनाओं में परिवर्तनों पर समय–समय पर विचार करती है। योजनाओं को अगले चक्र, 15वें वित्त आयोग के समवर्ती, के लिए विस्तारित करते हुए युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है।

******